**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं**
**मध्यप्रदेश**

क्र./4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

**//संशोधित आदेश//**

संचालनालय के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4/कार्या.स्था./सेल–1/2018/ 1682, दिनांक 24.08.2018 द्वारा श्री जगदीश रामा, भृत्य, स्थानीय कार्यालय को शासकीय सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये आदेश के अंतिम पैरा खण्ड को संशोधित कर श्री जगदीश रामा, भृत्य, स्थानीय कार्यालय की शासकीय सेवा 39 वर्ष एवं आयु 59 वर्ष पूर्ण उपरांत **दिनांक 31.08.2018 से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त पढा जावे।**

यह आदेश पूर्व आदेश दिनांक 24.08.2018 श्री रामा, भृत्य के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश का भाग माना जावे।

**स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।**

**अपर संचालक (प्रशासन),**
**संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्य प्रदेश**

पृष्ठां.क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/ 1957 भोपाल, दिनांक 10/10 /2018

**प्रतिलिपि** :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 2281/2991/2017/मेडि–1, दिनांक 23.09.2017 के परिपालन में।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
5. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय।
6. जिला कोषालय वल्लभ भवन भोपाल।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
8. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय की ओर विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करें।
9. दफ्तरी/सुपरवाईजर स्थानीय कार्यालय।
10. श्री जगदीश रामा, भृत्य स्थानीय कार्यालय।
11. पेंशन सेल कार्यालय स्थापना।
12. व्यक्तिगत नस्ती/आदेश फाईल

9/10/18

**अपर संचालक (प्रशासन),**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्य प्रदेश**

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
## मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

## //आदेश//

श्री जगदीश रामा कन्टीजेन्सी पेड चौकीदार, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4/सेल–1/1979/9726, दिनांक 23.05.1979 द्वारा क्लीनर के पद पर नियमित किया गया । श्री रामा, द्वारा दिनांक 23.05.1979 को कार्यभार ग्रहण किया गया था।

2/ विगत 10 वर्षो में श्री रामा की बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, तथा निलंबन संबंधी, कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का सेवा विवरण (रिकार्ड अनुसार) निम्नानुसार हैः–

श्री रामा को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने संबंधी कार्यालयीन पत्रों क्रमांक 145, दिनांक 05.02.2007, (एस.सी.एन.) क्रमांक 712, दिनांक 30.04.2008, (भविष्य के लिये चेतावनी पत्र) क्रमांक 491, दिनाक 31.03.2008, (विभागीय जॉच हेतु आरोप पत्र जारी किये) क्रमांक 2554, दिनांक 29.12.2009 (एस.सी.एन.), शिकायत शाखा के क्रमंक 810, दिनांक 01.04.2009 (भविष्य में व्यवहार आचरण में सुधार करने हेतु परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित करते हुये चेतावनी), क्रमांक 992, दिनांक 19.05.2010, (एस.सी.एन. एवं क्रमांक 1239, दिनांक 15.06.2010 द्वारा वेतन आहरण पर रोक), क्रमांक 654, दिनांक 19.04.2011 (एस.सी.एन.), आदेश क्रमांक 900, दिनांक 16.04.2014 के द्वारा भविष्य के लिये सचेत करते हुये अवकाश स्वीकृत किया गया था, एवं क्र 1047, दिनांक 30.05. 2018 द्वारा वेतन आहरण पर रोक लगाई गई है, पत्र जारी किये गये।

3/ इसके पश्चात् इनकी बिना सूचना की अवकाश अवधि का कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1319, दिनांक 10.11.2008 (125 दिवस अवैतनिक) एवं क्रमांक 999, दिनांक 31.05.2011 (29 दिवस अवैतनिक), क्रमांक 228, दिनांक 01.02.2012 (84 दिवस अवैतनिक), क्रमंक 420, दिनांक 27.02. 2012 (23 दिवस अवैतनिक), क्रमांक 1165, दिनांक 03.07.2015 (72 दिवस अवैतनिक), क्रमांक 663, दिनांक 07.05.2016 (86 दिवस अवैतनिक), क्रमांक 942, दिनांक 22.06.2016 (15 दिवस अवैतनिक), क्रमंक 1851, दिनांक 01.12.2016 (37 दिवस अवैतनिक) क्रमांक 1013, दिनांक 30.05.2017 (07 दिवस अवैतनिक) क्र 1221, दिनांक 15.06.2018 (40 दिवस अवैतनिक) अवकाश अवैतनिक किया गया था

4/ इसके अतिरिक्त लेख है कि श्री रामा ड्यूटी अत्याधिक शराब का सेवन किये पाये जाने से मेडिकल परीक्षण उपरांत श्री रामा को कार्यालयीन आदेश 918, दिनांक 08.05.2012 द्वारा निलंबित किया गया तथा आदेश क्रमांक 427, दिनांक 05.03.2013 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर निलंबन से बहाल किया गया था। पुनः श्री रामा ड्यूटी पर अत्याधिक शराब का सेवन किये पाये जाने से मेडिकल परीक्षण उपरांत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 964, दिनांक 26.05.2017 द्वारा निलंबित किया गया था। तदुपरांत इन्हें आदेश क्रमांक 2212, दिनांक 27.10.2017 द्वारा आरोप पत्र जारी कर श्री रामा के प्रस्तुत आवेदन पत्र, दिनांक 19.07.2017 द्वारा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा वचन पत्र पर निलंबन से बहाल किया गया था।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही उपरांत भी श्री जगदीश रामा, भृत्य के कार्य एवं व्यवहार आचरण शैली में कोई सुधार एवं बदलाव नही पाये जाने एवं बिना सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शराब का सेवन करने के आदि हो गये है, तथा इनकी विगत 10 वर्षों के गोपनीय चरित्रावली की वर्क रिपोर्ट "घ" श्रेणी की हैं।

श्री जगदीश रामा का उपरोक्त आचरण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। उपरोक्त कदाचरण के कारण शासकीय सेवा में बने रहना वांछनिय नहीं है।

अतः संपूर्ण प्रकरण पर विचारोपरांत मध्य प्रदेश शासन, सामांन्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी–3–24/2000/3/1, दिनांक 22.08.2000 के अनुपालन में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी की 20 वर्ष की सेवा एवं 50 वर्ष की आयु होने पर वर्णित मापदण्डों के आधार पर मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक 2281/2991/2017/मेडि–1, दिनांक 23.09.2017 के परिपेक्ष्य में श्री जगदीश रामा भृत्य, स्थानीय कार्यालय की शासकीय सेवा 39 वर्ष एवं आयु 59 वर्ष पूर्ण उपरांत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता।

**स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।**

//

**अपर संचालक (प्रशासन),**
**संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्य प्रदेश**

पृष्ठां.क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/1683 भोपाल, दिनांक 24/08/2018

**प्रतिलिपि** :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 2281/2991/2017/मेडि–1, दिनांक 23.09.2017 के परिपालन में।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
5. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय।
6. जिला कोषालय वल्लभ भवन भोपाल।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
8. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय की ओर विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करें।
9. दफ्तरी/सुपरवाईजर स्थानीय कार्यालय।
10. श्री जगदीश रामा, भृत्य स्थानीय कार्यालय।
11. पेंशन सेल कार्यालय स्थापना।
12. व्यक्तिगत नस्ती/आदेश फाईल

24.8.18

**अपर संचालक (प्रशासन),**
**संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्य प्रदेश**